(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2178/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 350/अपील/09-10.

अराजपत्रित पुलिस गृह निर्माण सहकारी समिति
द्वारा अध्यक्ष प्रेमनारायण बहोतिया,
आत्मज रामलाल बहोतिया,
निवासी ग्राम बरखेड़ाकलां, तह. हुजूर,
जिला भोपाल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. बटनलाल पुत्र स्व. श्री सरदारसिंह
2. कैलाश पुत्र स्व. श्री सरदारसिंह
3. प्रभुलाल पुत्र स्व. श्री सरदारसिंह
4. गजराज पुत्र स्व. श्री सरदारसिंह
5. सावित्रीबाई पुत्री स्व. श्री सरदारसिंह
   पत्नी श्री गोपालसिंह
6. शांतिबाई पुत्री स्व. श्री सरदारसिंह, पत्नी दुलीचंद
7. लीलाबाई पुत्री स्व. सरदारसिंह पत्नी श्री घुड़ीलाल
8. गुलाबसिंह आ. श्री प्यारेलाल
   सभी निवासीगण ग्राम गोंदरमउ
   तहसील हुजूर, जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक

श्री चंद्रेश जैन, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 लगायत 7

श्री श्रीकांत मालवीय व श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषकगण, अनावेदक क्र. 8

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 08.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, नजूल बैरागढ वृत्त, जिला भोपाल के समक्ष आवेदक द्वारा ग्राम गोदरमऊ, तहसील हुजूर की भूमि खसरा क्रमांक 58 रकबा 0.202 हैक्टेयर में से रकबा 0.101 हैक्टेयर, खसरा क्र. 60 रकबा 0.289 हैक्टेयर में रकबा 0.101 हैक्टेयर एवं खसरा क्र. 563/63 रकबा 0.696 हैक्टेयर में रकबा 0.348 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 0.550 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 55/अ-6/06-07 दर्ज कर दिनांक 02.01.2008 को आदेश पारित करते हुए आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ वृत्त, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.11.2009 को आदेश पारित कर प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया तत्पश्चात् आवेदक द्वारा धारा संहिता की 35 (3) का आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 25.01.2010 को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् लगभग 4 माह बाद आवेदक के अनुपस्थित रहने से प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 08.03.2016 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की जा चुकी थी और अनावेदकगण की लिखित बहस प्रस्तुत करनी थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निराकरण न कर प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज कर गंभीर वैधानिक भूल की है।

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, उसके बाद आवेदक द्वारा प्रकरण पुन: नंबर पर लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, परंतु आवेदन पर सुनवाई न कर प्रकरण को समाप्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

(2) आवेदक के द्वारा जब पुन: नंबर पर लेने के लिए आवेदन पत्र पेश किया गया, तो उसको आवेदन पर सुनवाई के लिए कोई नियत दिनांक तक नहीं दी गई थी, तो आवेदन पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए बिना ही प्रकरण को समाप्त किया गया। इस बिंदु को अपर आयुक्त ने अनदेखा कर अपील निरस्त कर गंभीर वैधानिक भूल की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.03.2016 की जानकारी दिनांक 17.03.2016 को हुई, उसी दिनांक को नकल आवेदन पत्र पेश किया गया तथा दिनांक 24.03.2016 को बुलाया, परंतु नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26.05.2016 को प्राप्त हुई, नकल प्राप्ति दिनांक से निगरानी समयसीमा में प्रस्तुत की गई है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 लगायत 7 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार कर आवेदक का नामांतरण आवेदन निरस्त किया गया है जिस तथाकथित मुख्त्यारनामे के आधार पर अनावेदक क्रमांक 4 ने आवेदक संस्था को विक्रयपत्र का निष्पादन किया गया है, उक्त मुख्त्यारनामे को विक्रयपत्र निष्पादन के काफी समय पूर्व दिनांक 03-7-98 को ही निरस्त कर दिया गया था । अत: अनावेदक क्रमांक 4 को आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था और ना ही ऐसे अवैधानिक विक्रयपत्र से आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त होता है । इस कारण तहसीलदार ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी ने उचित कार्यवाही की है । संहिता की धारा 35(3) के आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत भी आवेदक 4 माह तक अनुपस्थित रहा अत: अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया गया है, जो उचित तथा वैधानिक कार्यवाही है । अपर आयुक्त ने भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में उचित कार्यवाही की गई है । अत: आवेदक की निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक क्र. 8 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक क्र. 8 द्वारा आवेदक को कोई भी कृषि भूमि का विक्रयपत्र का निष्पादन नहीं किया गया है तथा आवेदक के द्वारा कोई भी विक्रय पत्र या अन्य कोई दस्तावेज किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक क्र. 8 की ओर से आवेदक के पक्ष में कोई भी विक्रय पत्र, मुख्तारनामा या विक्रय अनुबंध पत्र ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उसके उपरांत भी उसे हर प्रकरण में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से पक्षकार बनाया जाता है, जबकि उक्त निगरानी मेमो में दिये गये अभिवचनों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अनावेदक क्र. 8 के द्वारा आवेदक को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया हो।

(2) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के न्यायालय में आवेदक के विरूद्ध दिनांक 25.01.2010 को प्रकरण निरस्त कर दिया, उसके उपरांत भी चार माह तक आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

(3) तहसील न्यायालय में अनावेदक क्र. 8 के द्वारा यह बताया गया कि कृषि भूमि खसरा क्र. 58, 60, 563/63 रकबा 0.202, 0.289, 0.696 हैक्टेयर कुल रकबा में से रकबा 0.550 हैक्टेयर जो 1/2 भाग होता है, का अनावेदक क्र. 8 की वंशावली अनुसार आपस में रिश्तेदार हैं तथा अनावेदक क्र. 1 से 7 तथा 8 के मध्य बराबर-बराबर हिस्सों का विभाजन पूर्व में हो चुका है तथा 1/2 भाग पर अनावेदक क्र. 8 का कब्जा है।

(4) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र के साथ जो नक्शा शेष भूमि का प्रस्तुत किया है, उसमें अनावेदक क्र. 8 की हिस्सेदारी और मौके पर पृथक-पृथक बताई गई है एवं राजस्व अभिलेखों में भी अनावेदक क्र. 8 के हिस्से को अलग दर्शाया गया।

(5) आवेदक के द्वारा तहसील न्यायालय में जो मुख्तारनामा प्रस्तुत किया गया है, वह दिनांक 31.10.1995 का है तथा उक्त मुख्तारनामा पंजीकृत भी नहीं है, उसके 11 वर्ष पश्चात् दिनांक 04.01.2006 को मुख्तारनामा के आधार पर विवादित कृषि भूमि के विक्रय पत्र का निष्पादन बताया गया है तथा आवेदक के द्वारा उक्त मुख्तारनामे को ही तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।

(6) पंजीयन अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत अधिक समय तक के लिए दिया गया मुख्तारनामा पंजीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा उक्त मुख्तारनामा वैध नहीं माना जावेगा। उक्त कारण से भी मुख्तारनामा के आधार पर 11 वर्ष पश्चात् विवादित कृषि भूमि के विक्रय पत्र के निष्पादन स्वत: ही शून्य हो जाता है।

(7) दिनांक 02.01.2008 को तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अंतिम चरण में आवेदक को यह आदेश दिया गया था कि संहिता की धारा 109, 110 के अधीन आवेदक को यह न्यायालय कोई सहायता देने में सक्षम नहीं है एवं प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों में आवेदक व्यवहार न्यायालय से सहायता प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके पश्चात् भी आवेदक द्वारा किसी भी व्यवहार न्यायालय से कोई भी सहायता प्राप्त करने हेतु कोई वाद प्रस्तुत किया ही नहीं।

(8) अनावेदक क्र. 8 के नाम पर वर्तमान में कृषि भूमि ग्राम गोंदरमऊ तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 54/2, 62/1, 61, 63, 58/1, 60/1, 563/63/1 कुल रकबा 1.933 हैक्टेयर लगान रूपये 9.14 पैसे राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है।

(9) अनावेदक क्र. 8 को आवेदक बार-बार परेशान करने एवं शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है, उस संदर्भ में व्यवहार न्यायालय प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विशेष हर्जाना राशि देने के आदेश प्रदान कर सकते हैं, जो आवेदक से अनावेदक क्र. 8 को दिलाई जाये, जो न्यायोचित होगा।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अनावेदक क्र. 8 को विशेष हर्जाना राशि जो न्यायालय उचित समझे, वह दिलाये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31-5-10 द्वारा अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा यह बताए जाने पर कि प्रकरण दिनांक 21-5-10 को प्रकरण समाप्त होकर दा0रि0 हो चुका है, प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होना मानते हुए प्रकरण दा0 रि0 किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि 21-5-10 को प्रकरण समाप्त किए जाने के उपरांत पुन: उसी दिनांक में आगे आवेदक के अधिवक्ता की उपस्थिती उल्लिखित करते हुए पूर्व आदेश समाप्त किया गया है तथा प्रकरण में आगामी तिथि दिनांक 3-2-10 नियत की गई है । उक्त तथ्य को अपर आयुक्त द्वारा भी

अनदेखा किया गया है । अत: इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को गुणदोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । परिणामत: अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण गुणदोष पर करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर